राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ– 4(29)ग्रावि / नरेगा / भाग–2 / निरी. / 2014–15 जयपुर, दिनाक 27 JUN 2014

समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
राजस्थान।

विषय :– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 28.06.2014 को राज्य के सभी जिलों में किये जाने वाले निरीक्षण व पर्यवेक्षण कार्यकम ।**

प्रसंग :– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.06.2014 एवं 26.06.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि नरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत कार्यो का निरीक्षण व पर्यवेक्षण दिनांक 28.06.2014 को किये जाने बाबत निर्देशों की अनुपालना में राज्य के कुछ जिलों से निरीक्षण हेतु बनाये गये दलों / अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है। राज्य स्तर पर इस सूचना के विश्लेषण के आधार पर इस निरीक्षण कार्य को ज्यादा प्रभावी बनाने की दृष्टि से पूर्व निर्देशों की निरन्तरता में निम्न निर्देश दिये जाते है :–

1. विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 26.06.2014 के द्वारा आपसे जिला / ब्लॉक स्तर पर अधिकारियो के निरीक्षण / पर्यवेक्षण कार्यक्रम की सूचना निर्धारित प्रपत्र में चाही गई थी। सभी जिलों से यह अपेक्षा है कि इन प्रपत्रों में सूचना आज दोपहर 2.00 बजे तक अवश्य भिजवाई जाए। निर्धारित समय तक अवश्य भिजवाई जाए **इन प्रपत्रों में टीम द्वारा देखे जाने वाले कार्यों के नाम आवश्यक रूप से अंकित किये जाए।**
2. अधिकतर जिलों द्वारा राजस्व अधिकारीगण यथा उपखंड अधिकारी, तहसीलदार / नायब तहसीलदार को भी निरीक्षण कार्यक्रम से जोड़ा गया है। अतः आप से भी यह अपेक्षा है कि आपके जिले में राजस्व अधिकारीगण को भी इस निरीक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जाए।
3. महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम में विभिन्न लाईन विभागों के कार्य भी प्रगतिरत है। विभिन्न लाईन विभागों के अधिकारीगण यथा अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपवन संरक्षक, अधिशाषी अभियंता जल–संसाधन विभाग इत्यादि को आवश्यक रूप से इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए।
4. आपके जिले की संकलित सूचना के साथ निरीक्षण किये गये कार्यों की फोटो (सॉफ्ट कॉपी में) जरिये ई–मेल nrega.raj@gmail.com पर भिजवाई जाए ताकि आपके जिले में चल रहे कार्यो की वास्तविक स्थिति की राज्य स्तर पर जानकारी प्राप्त हो सकें।

आशा है कि आप अपने कुशल नेतृत्त्व में इस निरीक्षण कार्यक्रम हेतु जारी समस्त विभागीय निर्देशों की अक्षरशः पालना करवाते हुये इसे पूर्ण सफल बनाऐगे।

(डा0 समित शर्मा)
आई.ए.एस
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।
3. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस समरत राजस्थान ।
4. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान ।

परि.निदे एवं उपसचिव, ईजीएस